



राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2222403/2222469 Email ID : dlbrajasthan@gmail.com Website :www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ. 56 (क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/3368

दिनांक: 02.03.2023

जिला कलक्टर,
एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY)
समस्त राजस्थान।

विषय:- संशोधित आदेश के क्रम में।

प्रसंग:- विभागीय संमसंख्यक पत्राक 3118 दिनांक 01.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत में निवेदन हैं प्रासंगिक पत्र के बिन्दु संख्या 4 में अंकित योजनान्तर्गत दिनांक 09.09.2023 सहवन से टंकित हो जाने के फलस्वरूप इसके स्थान पर दिनांक 09.09.2022 पढा जावे।

संलग्न:- (प्रासंगिक पत्र की प्रति)।


(भूपेन्द्र माथुर)


परियोजना निदेशक, (IRGY-U)

क्रमांक:एफ. 56 (क)सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2022-23/3369-3617

दिनांक: 02.03.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. उपनिदेशक निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
4. समस्त आयुक्त/अधिशायी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका को उपरोक्तानुसार पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सुरक्षित पत्रावली।


23/23

परियोजना निदेशक (IRGY-U)

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (IRGY)
समस्त, राजस्थान।

विषय:-इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत नवीन सौन्दर्यीकरण कार्यो की प्रस्तुतिकरण (PPT) संलग्न प्रारूप में भिजवाये जाने के सम्बन्ध में।


प्रसंग:-विभागीय समसंख्यक पत्रांक 662-694 दिनांक 30.01.2023 एवं 608-640 दिनांक 25.01.2023 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों (प्रति संलग्न) एवं मुख्य सचिव महोदया द्वारा दिनांक 24.02.2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा बैठक के दौरान शहरों के सौन्दर्यीकरण हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावे:-

1. समस्त नगरीय निकाय द्वारा निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो की समग्र कार्ययोजना continuous nature of work के कार्यो को सम्मिलित करते हुये शहर को आकर्षक बनाये जाने एवं सौन्दर्यकरण की दृष्टि से कार्ययोजना तैयार करवाकर कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर कार्यो को 01.03.2023 से प्रारम्भ कराये जाने एवं आगामी दो माह में पूर्ण कराया जावे के निर्देश दिये गये है।
2. उपरोक्त क्रम में यह भी निर्देशित किया गया है कि शहरी सौन्दर्यकरण संबन्धी प्रस्तावों में यदि संशोधित किये जाने की आवश्यकता हो तो नियमानुसार आवश्यक संशोधन संबन्धी कार्यवाही करावे।
3. वर्तमान में शहरी सौन्दर्यकरण के अन्तर्गत प्रगतिरत कार्यो को 31.03.2023 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें।
4. योजनान्तर्गत दिनांक 09.09.2023 से 31.03.2023 तक कराये गये श्रेष्ठ कार्यो के श्रेणी वाईज फोटोग्राफ्स व वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रगति विवरण दिनांक 10.04.2023 तक निदेशालय को आवश्यक रूप से भिजवावे।
5. दिनांक 10.04.2023 तक भिजवाये गये जिलो से प्राप्त प्रस्तावों को राज्य स्तर पर समीक्षा किये जाने के उपरान्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा सर्वश्रेष्ठ जिलो के जिला कलक्टरो को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से "सिविल सर्विस डे" पर समान्नित किया जावेगा।

कृपया पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव

प्रतिलिपी:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
2. मुख्य अभियंता (IRGY), स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान।
3. उपनिदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
4. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका को उपरोक्तानुसार पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सुरक्षित पत्रावली।



(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव